न्यायालय, भूमि सुधार उप समहार्त्ता, बुण्डू (राँची)

दाखिल खारिज अपील वाद संख्या–23 / 2017–18

हाकिम सिंह मुण्डा..अपीलार्थी

बनाम

झारखण्ड सरकार वगैरह...प्रतिवादी

आदेश की क्रम सं. एवं तारीख	आदेश एवं पदाधिकारी का हस्ताक्षर	आदेश पर की गयी टिप्पणी तारीख सहित
02.07.18	अपीलार्थी हाकिम सिंह मुण्डा पिता–मदन सिंह मुण्डा, ग्राम–सताकी, डाकघर–सताकी, थाना–अनगड़ा, जिला–राँची ने अपने विद्वान अधिवक्ता के माध्यम से अंचलाधिकारी, बुण्डू के द्वारा नामांतरण मुकदमा सं०–376 R27 / 2016–17 / बुण्डू में दिनांक–26 / 04 / 2017 को पारित आदेश के विरूद्ध यह अपील दायर किया है। जिसके द्वारा मौजा–ताऊ, थाना सं०–27, खाता सं०–201, खेसरा सं०–831, रकवा–13 डी० भूमि का नामांतरण अस्वीकृत किया गया। अपीलार्थी को सुनकर सुनवाई हेतु इस अपील वाद को ग्रहण किया गया एवं संबंधित पक्ष को नोटिस निर्गत किया गया। अपीलार्थी एवं उनके विद्वान अधिवक्ता को सुना। अपीलार्थी की ओर से उनके विद्वान अधिवक्ता कहते हैं कि संबंधित भूमि आर०एस० खतियान में हरिनाथ महतो के नाम से कायमी दर्ज है। खतियानी रैयतों के मध्य अपने जीवन काल में ही घरेलु बंटवारा हो गया था इसी कारण से सबका अलग–अलग पंजी।। में दर्ज हो गया है। खतियानी रैयत जैनाथ महतो का एक पुत्र वारिश गिरिधारी महतो हुआ तथां गिरीधारी महतो के आठ वारिश क्रमशः मुखीराम महतो, गुलपु महतो, अरूण महतो, विजय महतो, फेकला महतो, गोमा महतो, अभिमन्यु महतो एवं वासुदेव महतो हुए। अरूण महतो एवं फेकला महतो के पुत्र कमल लोचन महतो एवं भुवनेश्वर महतो ने अपने हिस्से के दखली जमीन को दिनांक–26 / 02 / 2009 को निबंधन विक्रय पत्र सं०–2868 / 2486 के द्वारा अपीलकर्त्ता को बिक्रीनामा द्वारा बिक्री किए। अपीलकर्त्ता ने अपनी खरीदगी जमीन का नापी कराकर दखलकार हुए। विक्रेता के भैयाद वो हिस्सेदार को अभी तक कोई आपत्ति नहीं है और न ही कोई न्यायालय में इस संबंध में कोंई वाद दायर किया है और न ही कहीं विचाराधीन है। अपीलार्थी के विद्वान अधिवक्ता कहते हैं कि संबंधित जमीन का बंटवारानामा प्रस्तुत नहीं किया गया इस कारण नामांतरण अस्वीकृत किया गया। अपीलार्थी द्वारा इस वाद में समर्पित निम्न न्यायालय द्वारा नामांतरण मुकदमा सं०–376 R27 / 2016–17 / बुण्डू में दिनांक–26 / 04 / 2017 को पारित आदेश की प्रमाणित प्रतिलिपि एवं संलग्न दस्तावेजों का अवलोकन किया। अवलोकनोपरांत ज्ञात होता है कि उपरोक्त भूमि का जमाबंदी राजस्व पंजी।। में मुखीराम महतो वगैरह के नाम से दर्ज है। विक्रेता पंजी।। रैयत एवं पुत्र है। भूमि गैरमजरूआ खाते की नहीं है। क्रेता का भूमि पर दखल है। बँटवारानामा प्रस्तुत करने हेतु निर्धारित सुनवाई की तिथि को आवेदक अनुपस्थित रहा अतः नामांतरण अस्वीकृत किया गया। अतः उपर्युक्त तथ्यों के आधार पर अपीलार्थी के आवेदन को स्वीकृत किया जाता है एवं अंचलाधिकारी, बुण्डू को निदेशित किया जाता है कि अपीलार्थी से बंटवारानामा प्राप्त कर उपरोक्त भूमि का दाखिल खारिज अपीलार्थी के नाम से करना सुनिश्चित करेंगे। इस आदेश की प्रतिलिपि को अंचल अधिकारी, बुण्डू को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित करें। लेखापित एवं संशोधित। 02/07/18 भूमि सुधार उप समहार्त्ता, बुण्डू(राँची)। 02/07/18 भूमि सुधार उप समहार्त्ता, बुण्डू(राँची)।	